21/12/2023	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राज कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/2/2024 को पेश हो।
2/2/24	पत्रावली प्रस्तुत। व. प्र. अ. / अनुपस्थित अ. त. पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14/2/2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर प्र. जयपुर
14/2/2024	पत्रावली प्रस्तुत। व० प्र० उपस्थित। अप्र पक्ष अधिवक्तागण की

: ____________________ /20 __________

आज्ञा विस्तृत रूप से

अंतिम बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,

मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा

आर.ए.एस.

नियमित प्रा. संख्या –46/2022 प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक –04.05.2022

मुरलीधर पुत्र हरसहाय जाति जाट, निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

............प्रार्थी

बनाम

1. सांवरमल पुत्र मंगलाराम
2. हनुमान सहाय पुत्र मंगलचंद
3. प्रहलाद पुत्र मंगला
4. सूरजमल पुत्र लिछमन
5. श्रवण पुत्र रामनाथ
6. राजेन्द्र पुत्र रामनाथ
7. मोहन पुत्र रामनाथ
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव पता जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

1. श्री गौरी शंकर शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री मोहन लाल जाट – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की ओर से

निर्णय दिनांक 14.02.2024

प्रार्थी / वादी ने अपने हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाके ग्राम जयरामपुरा पटवार हल्का जयरामपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर खाता संख्या नया 374 खाता संख्या पुराना 354 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1519 रकबा 1.71 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1520 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.02 हैक्टेयर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 1519, 1520 भूमि का खातेदार काश्तकार प्रार्थी है, तथा उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज व अंकित चली आ रही है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि के पडौसी खातेदार काश्तकार है। बिनायदावा दिनांक 20.04.2022 को अप्रार्थीगण आपस में एक राय होकर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि की दक्षिणी दिशा की तरफ से प्रार्थी के खसरा नंबर 1519, 1520 की भूमि हड़प कर जबरन बेदखल कर उसकी भूमि पर निर्माण कार्य करने के लिये और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की दक्षिणी दिशा पर बनी मिट्टी की डोल तोडकर युद्धस्तर पर पत्थर आदि डालकर निर्माण करने की कोशिश की यह देखकर प्रार्थी ने जब इसका विरोध किया, तथा उपरोक्त भूमि की दक्षिणी दिशा में स्थित खसरा नंबर 1519, 1520 का सीमाज्ञान व पत्थरगढी कानूनन कराने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को एलानियां धमकी दी की उक्त भूमि पर हम जबरन कब्जा करने निर्माण कार्य करने पर उतारू हो रहे है, तथा तुम्हें उक्त भूमि से बेदखल करके रहेंगे। हम ना तो कानूनन उपरोक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करायेंगे और ना ही पत्थरगढी करायेंगे। आपने हमारी भूमि को दबा रखी है जिस पर तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं है। जिस पर हम मिट्टी उठाकर, निर्माण कार्य करेंगे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते हमारी पहुंच ऊपर तक है पुलिस और कोर्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड सकती, और हम रातों -रात मौके पर निर्माण करके रहेंगे। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत तलबी की गई।

अप्रार्थी संख्या 8 जेडीए की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया की मिन अप्रार्थी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों व कानूनों के अनुसार ही कार्य किया जाता हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा किसी भी व्यक्ति से कोई मिलीभगत/साज बाज नहीं की गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरूद्ध बिना किसी आधार के मिथ्या आरोप लगाये गये है, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरूद्ध प्रार्थना पत्र के किसी भी मद में कोई भी विशिष्ट कथन नहीं किया गया है,

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

किसी आधार के मिथ्या आरोप लगाये गये है, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरूद्ध प्रार्थना पत्र के किसी भी मद में कोई भी विशिष्ट कथन नहीं किया गया है, ना ही अलग से कोई विशिष्ट अनुतोष की मांग की गई है, ना ही प्रार्थी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप लगाया गया है, इसलिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुति से पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण की धारा 79 के अंतर्गत आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, जिससे प्रार्थी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरूद्ध कोई भी विशिष्ट कथन प्रार्थना पत्र की किसी भी मद में नहीं किया गया है। इसलिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरूद्ध कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया गया कि प्रार्थी/वादी के खसरा नम्बर 1519, 1520 के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1521 स्थित है प्रार्थी/वादी की भूमि की सीमाऐं व मिन अप्रार्थीगण की भूमि की सीमाऐं आपस में स्पर्श भी नहीं करती है। बल्कि प्राथी/वादी व मिन अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य खसरा नम्बर 1521 स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज अंकित है, जो आज जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्रार्थी/वादी द्वारा कभी भी अपनी भूमि का सीमाज्ञान नही करवाया है ना ही कोई नाप जोख करवाई है। जबकि मिन अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 07.06.2022 को श्रीमान उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी के आदेश से खसरा नम्बर 1522,1539,1518,1522/1710,1523 कुल किता 5 का सीमाज्ञान करवाया गया है। प्रार्थी/वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किये गये है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। वाद स्थायी निषेधाज्ञा का है, यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी के वाद का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रार्थी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा कब्जे की अवधारणा प्रार्थी के पक्ष में है

सहायक कलेक्टर
आमेर प्र. जयपुर

Scanned with CamScanner

जिसमें संबंध में प्रार्थी ने फोटो प्रति जमाबंदी संवत 2076–2079 खसरा नम्बर 1519, 1520 पेश किया है। जो संलग्न है जिससे प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण करते हैं तो प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंसना पडेगा जिससे सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर वाके ग्राम जयरामपुरा पटवार हल्का जयपुरामपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल जिला जयपुर के खसरा नम्बर 1519 तथा खसरा नम्बर 1520 कुल किता 2 कुल रकबा 2.02 हैक्टेयर में मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर संलग्न मूल वाद हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर भू0 जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर भू. जयपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर भू. जयपुर